संख्या-606/2017/1141/22-2-2017-17(56)/2011

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 जुलाई, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रणधीर सिंह पुत्र श्री बलजीत सिंह निवासी जनपद-शामली की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16430/पर-2/सलाहकार समिति/(एम0-02-05-2017) दिनांक-22-05-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रणधीर सिंह पुत्र श्री बलजीत सिंह, निवासी-बादशाहपुर, थाना-कोतवाली शामली, जनपद-शामली का रहने वाला है। पुरानी रंजिश के चलते दिनांक 28.08.1984 को समय लगभग 05:15 बजे सायं बन्दी ने अपने 14 सहअभियुक्तों के साथ लाठी, डण्डा, बल्लम एवं बन्दूक से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-20/1985 में भा0द0वि0 की धारा-148, 452, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 10.05.1988 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.1993 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.01.2017 तक 23 वर्ष 00 माह 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 30 वर्ष 05 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 06 सहअभियुक्त रिहा किये गये, 07 सहअभियुक्त दोषमुक्त किये गये तथा 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तथा सलाहकार समिति द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति तथा सिद्धदोष बन्दी जघन्य अपराध में सहअभियुक्त होने एवं 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध होने के कारण सक्षम स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई का औचित्य नहीं पाया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रणधीर सिंह (बन्दी संख्या-16634) पुत्र श्री बलजीत सिंह जनपद-शामली की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-606/2017/1141(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शामली ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।